

बिहार सरकार  
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०-३/निदे० (छात्रावास संधारण)-६६-२४/२०१८-

३९  
०९.१०.१८


शुद्धि पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- ३३ दिनांक २०.०९.२०१८ के कंडिका-३ में अंकित " वे राशि का निकासी कर अपने जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी को मांग के आलोक में बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से राशि हस्तगत करायेंगे।"

के स्थान पर

"वे राशि की निकासी कर अपने जिला के जिला प्रबन्धक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को मांग के आलोक में बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से राशि हस्तगत करायेंगे।" पढ़ा जाय।

- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- ३३ दिनांक २०.०९.२०१८ की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।
- इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

  
(प्रेम सिंह मीणा)  
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-३/निदे० (छात्रावास संधारण)-६६-२४/२०१८-३९ पटना, दिनांक-०९.१०.१८

प्रतिलिपि:- (१) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(२) संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(३) (i) निदेशक अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ उप निदेशक (मु०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर, संबंधित प्रशाखा पदा०, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/ सभी संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला प्रबन्धक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम/सभी संबंधित जिला कल्याण पदा० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।